UPMP010025982026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी- (Rupesh Ranjan)**, (**उच्चतर न्यायिक सेवा**) - UP02022**

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 891/2026</u>

हरविलास उर्फ पप्पू पुत्र छेदालाल उम्र 65 वर्ष निवासी सिविल लाइन, गोलाबाजार थाना कोतवाली,जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी /अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

<u>आदेश</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त **हरविलास उर्फ पप्पू** की ओर से यह प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या– 2055/2010 अन्तर्गत धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं० थाना–कोतवाली** जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना–पत्र न तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है न ही विचाराधीन है न ही अस्वीकृत हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,'' प्रार्थी का एक प्लाट रकवा 0.20 डेसीमल पूरब से पश्चिम 132 फुट व उत्तर से दक्षिण 66 फुट दिनांक 20.04.1987 को जरिये बैनामा उपरोक्त अभियुक्त संख्या– 1 रमेश सिंह से खरीदा था तथा इसी प्लाट से लगा हुआ एक दूसरा प्लाट रकवा 0.05 डेसीमल का बैनामा दिनांक 20.07.2001को प्रार्थी ने उक्त रमेश सिंह से ही कराया है, जिसमें मुझ प्रार्थी का कब्जा है। दोनों प्लाटों पर निहास भरी पड़ी है। इसी में से एक प्लाट का पुन: रमेश सिंह ने एक बैनामा श्री अजय कुमार दुबे व श्रीमती पूनम दुबे पत्नी अजय दुबे तथा अपने लड़के सुन्दर सिंह उर्फ श्याम सुन्दर चौहान को दिनांक 24.01.2006 को किया, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने उक्त सभी लोगों के नाम अप०सं – सी 24 पर थाना कोतवाली में धारा–419, 420, 467, 468, 471, 506 भा०दं०सं० में दर्ज कराई थी,जिसका मुकदमा सी.जे.एम. मैनपुरी में लम्बित है। इसके बावजूद भी उसी भूमि का एक बैनामा रमेश सिंह ने पुन: श्रीमती वसन्ती देवी को कर दिया। बसन्ती देवी ने जब उक्त भूमि पर प्रार्थी के प्लाट पर कब्जा नहीं कर सकी तो उसने उक्त प्लाट का बैनामा श्रीमती रेखा पत्नी मनोज कुमार को कर दिया। मनोज कुमार ने प्रार्थी के प्लाट पर कब्जा करने का भरपूर प्रयास किया किन्तु प्रार्थी ने पुलिस एवं प्रशासन की सहायता से उक्त अपने प्लाट पर कब्जा नहीं होने दिया। जिसको

विफल होने पर दिनांक 11.11.2008 को श्याम सुन्दर सिंह पुत्र रमेश सिंह व श्रीमती राधा देवी पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासी नगला बाग मौजा लेखराजपुर थाना कुर्रा तहसील भोगाँव जिला मैनपुरी व गौरव यादव पुत्र शिवनाथ सिंह व लक्ष्मी यादव पत्नी अजब सिंह व रमेश सिंह पुत्र कमल सिंह व हरविलास उर्फ पप्पू यादव व मनोज कुमार तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय पहुँच गया और बैनामा पर यह कहते हुए कि उक्त सभी लोग जालसाजी कर मेरे प्लाट का बैनामा दूसरे व्यक्ति द्वारा राधादेवी के हक में करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार मैनपुरी के बैनामा को अपने पास मंगा लिया जिसे उक्त एकराय होकर आये। सभी लोगों ने प्रार्थी को अपने साथ लाये असलाहों से धमकाते हुए कि साले भाग जा नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, किन्तु प्रार्थी बिना डरे अपनी भूमि के बैनामा को रोकने का प्रयास करता रहा। प्रार्थी ने कोतवाली में सूचना दी तो थाना पुलिस सबरजिस्ट्रार कार्यालय पर आकर असलाह लिए व्यक्तियों के अपने साथ थाने ले गयी। श्यामसुन्दर भाग गया प्रार्थी ने भूमि सम्बन्धित सभी मुकदमें के कागजात तथा अपना बैनामा आदि दिखाये, जिस पर दिनांक 11.11.2008 को बैनामा नहीं किया गया। दिनांक 12.11.2008 को प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र सब–रजिस्ट्रार को इस आशय का दिया कि श्यामसुन्दर सिंह उर्फ श्यामसुन्दर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ लगाकर दिया बैनामा कर रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथपत्र भी प्रार्थी ने दिया किन्तु दिनांक 12.11.2008 को उक्त सभी तथा सब रजिस्ट्रार ने जालसाजी करके एक राय होकर समय करीब 6:16 बजे शाम श्यामसुन्दर सिंह ने श्रीमती राधादेवी को बैनामा कर दिया । उक्त लोगों ने जालसाजी कर कूटरचना कर कपटपूर्वक बेईमानी की नियत से यह गैरकानूनी कार्य कर दिया है। जिससे प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा करने में सफल हो सके। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,''वह निर्दोष है। उसने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है। उसे पूर्णतः गलत एवम असत्य तथ्यों के आधार पर झूठा नामित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी का कोई भी विशिष्ट रोल अंकित नहीं किया है। वादी द्वारा पूर्व में भी उक्त घटना के सम्बन्ध में मु०अ०सं०सी 24 थाना कोतवाली पर दर्ज कराया था, वादी द्वारा दर्ज कराये पूर्व अभियोग सी–24 में प्रार्थी नामित नहीं था। प्रार्थी द्वारा न तो रमेश सिंह तथा न ही श्याम सुन्दर सिंह से किसी भी प्लाट का बैनामा कराया था तथा न ही किसी बिक्रीत प्लाट के बैनामा में साक्षी था, पूर्णतया गलत एवं असत्य तथ्यों के आधार पर नामित किया है। वादी ने पूर्णतया गलत एवं असत्य तथ्य अंकित कर धारा 156 (3) सीआर०पी०सी० का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह कर आदेश पारित कराकर अभियोग पंजीकृत कराया है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र अं०धारा–156 (3) सी.आर०पी०सी० में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "दिनांक 11.11.2008 को श्याम सुन्दर सिंह पुत्र रमेश सिंह व श्रीमती राधा देवी पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासी नगला बाग मौजा लेखराजपुर, थाना कुर्रा तहसील भोगांव जिला मैनपुरी व गौरव यादव पुत्र शिवनाथ सिंह लक्ष्मी यादव पत्नी अजब सिंह व रमेश सिंह पुत्र कमल सिंह व हरविलास उर्फ पप्पू यादव व मनोज कुमार तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय मैनपुरी आये। प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी भी सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुँच गया और बैनामा पर यह कहते हुये कि उक्त सभी लोग जालसाजी कर मेरे प्लाट का बैनामा दूसरे व्यक्ति द्वारा राधा देवी के हक में करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार मैनपुरी के बैनामा को अपने पास मंगा लिया जिसे उक्त एकराय होकर आये सभी लोगों ने प्रार्थी को अपने साथ लाये असलाहों से धमकाते हुये कि साले भाग जा नहीं तो तुझे जान से मार

देगें" अर्थात् प्रार्थी पर केवल धमकाने का आरोप है जो कि धारा 506 आई०पी०सी० का अपराध है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है तथा वह 65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है,अस्वस्थ रहता है। प्रार्थी दौरान विचारण अवर न्यायालय में हाजिर रहेगा। वह न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का कभी दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।''

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण साथ मिलकर फर्जी कागजात(दस्तावेज)तैयार कराकर जमीन का फर्जी बैनामा कराने एवम जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद है। प्राथमिकी न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) Crpc प्रस्तुत कर,न्यायालय के आदेश पर थाने पर पंजीकृत की गई है। मूल पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगोचर होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 28–04–2012 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक 01–04–2014 को जमानतीय अधिपत्र जारी किए गए। अभियुक्त की कई वर्षों तक निरन्तर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 02–04–2021 को गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किए गए हैं। परंतु आवेदक/अभियुक्त वाद में उपस्थित नहीं आया। अभियुक्त की न्यायालय में निरन्तर अनुपस्थिति के कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही भी सम्पन्न नहीं हो पा रही है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त हरविलास उर्फ पप्पू को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

तद्नुसार अभियुक्त **हरिवलास उर्फ पप्पू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 30–06–2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.07.01 16:37:38 +0530